



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर शराब तस्करी करने वाले आरोपी पवन को हुई 02 माह 22 दिन के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पवन पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 219/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.12.2024 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त पवन को दोषी पाते हुए 02 माह 22 दिन के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 16.12.2024

बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-नीरज पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम मौहम्मदपुर खुन्टी थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-नरेन्द्र पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

3-सुरेश पुत्र सुरजी निवासी ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-बालेंद्र पुत्र महावीर निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-अमित पुत्र सोम सिंह निवासी गली नं0 8 मैन रोड लोनी ब्लाक नं0 2 गाजियाबाद मूल निवासी पट्टी चक्रसैनपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

6-एक महिला

7-सरफराज पुत्र जैनुलाहम उर्फ भूरा निवासी पट्टी चौधरान सर्कुलर रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना दोघट पुलिस टीम ।
- 2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।
- 3-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।
- 4-थाना छपरौली पुलिस टीम ।
- 5-थाना खेकडा पुलिस टीम ।
- 6-थाना बडौत पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 16.12.24

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 434/24 धारा 305 बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 सिंग, 01 डार्ई , 03 बेसिंग, 02 क्लच प्लेट व 01 घिरनी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.12.24 को थाना खेकड़ा पर वादी अंकित कुमार पुत्र स्व. मोकम सिंह निवासी करबा व थाना बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त शोएब पुत्र नसरुदीन निवासी बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा चाहत फैक्ट्री में लगी मशीनों के पार्ट, क्लच प्लेट, लीवर, बैसिंग आदि को चोरी कर



लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 434/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 434/24 धारा 305 बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 02 रिंग, 01 डाई, 03 बेरिंग, 02 क्लिच प्लेट व 01 घिरनी लोहे बरामद हुई है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 434/24 धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शोएब पुत्र नसीरुद्दीन निवासी बडागाँव थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 रिंग।
- 01 डाई।
- 03 बेरिंग।
- 02 क्लिच प्लेट।
- 01 घिरनी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा।
- 2- उ0नि0 श्री देवेन्द्र शर्मा थाना खेकडा।
- 3- का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 16-12-2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1380 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1380 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बिजेन्द्र पुत्र धनपाल निवासी तारा वाली गली मौ0 विजयनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2- अरुण कुमार पुत्र त्रिलोकचन्द निवासी तारा वाली गली मौ0 विजयनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3- पंकज पुत्र चुन्नीलाल निवासी तारा वाली गली मौ0 विजयनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

4- कंवरपाल पुत्र प्रेमराज निवासी रविदास मंदिर के पीछे मौ0 विजयनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- 1380 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 555 रवि कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 16.12.24

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 173/24 धारा 140(3) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा व्यक्ति को अथक प्रयास के बाद नोखा, जिला बीकानेर राजस्थान से सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 173/24 धारा 140(3) बीएनएस से सम्बन्धित



गुमशुदा व्यक्ति को अथक प्रयास के बाद नोखा, जिला बीकानेर राजस्थान से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 16.12.2024

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र शमीम निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 163/24 धारा 452/376/506 भादवि व 3/25/27 आमर्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 347/24 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत ।

2.उ0नि0 श्री मंयक प्रताप थाना रमाला जनपद बागपत ।

3.का0 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।

